# न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : मोहन सिंह, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 184/18 (वाद)

1. श्रीमती गेन्दीबाई पिता मोती पत्नी भगा डांगी निवासी घासा हाल मजेरा तह. नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

.....वादीयां

**बनाम्**

1. श्री मांगीलाल पिता जेता डांगी निवासी मण्डी की मगरी, घासा तह. मावली।
2. श्री देवीलाल माता नकारी पिता रूपा डांगी निवासी घोडच तह. नाथद्वारा।
3. श्री भेरूलाल माता नकारी पिता रूपा डांगी निवासी घोडच तह. नाथद्वारा।
4. श्री गणेश माता नकारी पिता रूपा डांगी निवासी घोडच तह. नाथद्वारा।
5. श्रीमती मीराबाई माता नकारी पत्नी लोगर डांगी निवासी फेनियों का गुडा तह. बडगांव।
6. श्रीमती मोहनीबाई माता नकारी पिता रूपा डांगी निवासी घोडच तह. नाथद्वारा।
7. श्रीमती नवाबाई माता नकारी पत्नी केसा डांगी निवासी लोयरा तह. बडगांव।
8. श्रीमती दौलीबाई माता नकारी पत्नी गणेश डांगी निवासी लोयरा तह. बडगांव।
9. श्री श्यामलाल माता कवरी पिता लखमा डांगी निवासी मण्डीमगरी घासा तह. मावली।
10. श्री भूरालाल माता कवरी पिता लखमा डांगी निवासी मण्डी की मगरी, घासा तह. मावली।
11. श्री बाबुलाल माता कवरी पिता लखमा डांगी निवासी मण्डी की मगरी, घासा तह. मावली।
12. श्री कुकाराम माता कवरी पिता लखमा डांगी निवासी मण्डी की मगरी, घासा तह. मावली।
13. श्रीमती पपुडी माता कवरी पत्नी प्यारेलाल डांगी निवासी झंझेला तह. मावली।
14. श्रीमती मोहनीबाई माता कवरी पत्नी वरदा डांगी निवासी गंदोली तह. मावली।
15. श्रीमती डाकुबाई माता कवरी पत्नी वरदा डांगी निवासी गंदोली तह. मावली।
16. श्री मुकेश पिता लोगर डांगी निवासी गजेला, मजेरा तह. नाथद्वारा।
17. श्रीमती मांगीबाई पिता लोगर पत्नी गणेश डांगी निवासी गुडली तह. मावली।
18. श्रीमती मीना पिता लोगर पत्नी कैलाश डांगी निवासी मटाटा तह. बडगांव।
19. श्रीमती जसोदा पिता लोगर पत्नी पप्पु डांगी निवासी रठुजना तह. नाथद्वारा।
20. श्री दौला माता वालकी पिता चेना डांगी निवासी गजेला, मजेरा तह. नाथद्वारा।
21. श्री गोपाललाल माता वालकी पिता चेना डांगी निवासी गजेला, मजेरा तह. नाथद्वारा।
22. श्रीमती देऊबाई माता वालकी पत्नी केसा डांगी निवासी रामा तह. बडगांव।
23. श्रीमती माणीबाई माता वालकी पत्नी परथा डांगी निवासी धोलीमगरी तह. मावली।
24. श्रीमती जवेरी माता वालकी पत्नी लोगर डांगी निवासी रामा तह. बडगांव।
25. श्री बाबुलाल माता प्रताबी बाई पिता रूपा डांगी निवासी नरदासीया तह. मावली।
26. श्रीमती मोहनीबाई माता प्रताबीबाई पत्नी सुखलाल डांगी निवासी आसना तह. मावली।
27. श्रीमती सवागी माता प्रताबीबाई पत्नी गेबा डांगी निवासी विजनवास तह. मावली।
28. श्रीमती पुष्पाबाई पत्नी रामलाल डांगी निवासी बापेर, घासा तह. मावली।
29. श्रीमती दुर्गाबाई पत्नी रतनलाल खटीक निवासी घासा तह. मावली।
30. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)।

.....प्रतिवादीगण

**उपस्थित–1.** श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता वादीयां।
2. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 29।

# वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 जा.दी. निर्णय

दिनांक : 26.08.2019

1. वादीयां द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मण्डी की मगरी, मौजा घासा व मौजा बापेर पटवार हल्का घासा की वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति होना बताकर भूमि में अपने हिस्से की घोषणा कराने का वाद प्रस्तुत किया हैं। प्रकरण को दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 29 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. एवं धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीयां ने वाद पत्र की कलम सं. 1 के परिशिष्ठ (क, ख, ग, घ) में अंकित कृषि भूमि को अपनी पैतृक बताकर अपने नाम पर खातेदारी हक की घोषणा कराने का यह वाद माननीय न्यायालय आपमें संस्थित किया हैं। वादीयां ने उक्त वर्णित आराजीयात बाबत स्वयं ने अपने वाद पत्र की कलम सं. 6 में कथन किया है कि परिशिष्ठ (ग) में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपना हिस्सा प्रतिवादी सं. 29 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.05.2018 को विक्रय कर भौतिक आधिपत्य सिपुर्द कर दिया है जो जरिए नामान्तरकरण सं. 37 से क्रेता प्रतिवादी सं. 29 के नाम पर खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हो चुका हैं। वादीयां द्वारा किये गये कथनानुसार यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं. 1 ने वाद पत्र की कलम सं. एक के परिशिष्ठ (ग) में अंकित कृषि भूमि में निहित अपने हिस्से को प्रतिवादी सं. 29 को विक्रय कर दी हैं। प्रतिवादी सं. 29 जाति से खटीक होकर अनुसूचित जाति वर्ग की सदस्या है। एक बार भूमि के अनुसूचित जाति के नाम पर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज होने के पश्चात् वह भूमि किसी भी सामान्य वर्ग या अन्य किसी वर्ग के सदस्य के नाम पर खातेदारी हक सं अंकित नहीं हो सकती है जिसका स्पष्ट उल्लेख राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी. में कर रखा हैं। ऐसी अवस्था में वादीयां द्वारा अनुसूचित जाति के क्रेता प्रतिवादी सं. 29 के विरूद्व माननीय न्यायालय से दाद प्राप्ति बाबत् जो वाद प्रस्तुत किया है वह विधि द्वारा वर्जित होकर निरस्तनीय हैं। वादीयां ने जो वाद न्यायालय हाजा में पैतृक कृषि भूमि में हक अधिकारों का सृजन बाबत् प्रस्तुत किया है वह पूर्ण रूप से विधि द्वारा वर्जित होकर खारिज होने योग्य हैं। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रतिवादी सं. 29 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीयां का वाद पत्र इसी स्टेज पर सव्यय खारिज फरमाया जावें।
2. वादीयां अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि अपने वाद की कलम सं. 6 में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने 1/6 हिस्से का कब्जा प्रतिवादी सं. 29 को देने का अधिकार है कथन किया है जबकि प्रतिवादी सं. 1 ने परिशिष्ट ग में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात नुमाईशी विक्रय पत्र से प्रतिवादी सं. 29 को विक्रय की है जो वादीयां के मुकाबले बेअसर व शून्य है तथा विवादित आराजीयात का अभी तक बंटवाडा नहीं हुआ है तथा बिना बंटवाडा कराए प्रतिवादी सं. 1 अपने हिस्से से अधिक भूमि को विक्रय हस्तान्तरण नहीं कर सकता हैं, न ही किसी को बिना बंटवाडा कराए कब्जा सिपूर्द कर सकता हैं। तथा ऐसे नुमाईशी विक्रय पत्र से प्रतिवादी सं. 29 को कोई हक व अधिकार

प्राप्त नहीं होते है क्योंकि प्रतिवादी सं. 29 स्ट्रेजर परचेजर है ऐसी अवस्था में प्रतिवादी सं. 29 को विवादित आराजीयात में कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं हैं। वादीयां द्वारा वाद वर्णित आराजीयात को अपनी मौरूसी जायदाद बताकर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद पेश किया है वादीयां अपनी मौरूसी जायदाद में अपने हिस्से की घोषणा कराना चाहती है तथा प्रतिवादी सं. 1 ने परिशिष्ठ ग में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात नुमाईशी विक्रय पत्र से प्रतिवादी सं. 29 को विक्रय की है जो वादीयां के मुकाबले बेअसर व शून्य है तथा वादीयां प्रतिवादी सं. 29 की आराजीयात से कोई घोषणा का वाद नहीं लाई है। जिससे धारा 42 बी काश्तकारी अधिनियम का उल्लघंन हुआ हो क्योंकि नुमाईशी विक्रय पत्र से प्रतिवादी सं. 1 ने अपने हिस्से से अधिक भूमि को प्रतिवादी सं. 29 को विक्रय की हैं। जिससे प्रतिवादी सं. 29 को कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।

3. प्रतिवादी सं. 29 स्वयं यह तो मानती है कि वादीयां का वाद वादीयां की पैतृक कृषि भूमि से सम्बन्धित है तथा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. लागु होता है जहां वादीयां के वाद की प्लीडिंग से वादीयां का वाद विधि द्वारा वर्जित हो। यहां वादीयां का वाद वादीयां के वाद की प्लीडिंग के आधार पर विधि से वर्जित नहीं है तथा प्रतिवादी को यदि कोई उजर लेना है तो वह अपने जबाव दावे में ले सकता है तथा जबाव दावें के आधार पर तनकीयात बनाकर यदि कोई कानुनी तनकी बनती है तो प्रारम्भिक तनकी के रूप से तय की जा सकती हैं। ऐसी अवस्था में वादीयां का वाद बार्ड बाई लॉ नहीं हैं। इसलिए प्रतिवादी का कथित प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें। अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादी का कथित प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

4. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार कर वादीयां का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीयां द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा नजीर RRT 2016 (1) Page 674, RRT 2013 Page 1248 पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। हमने दोनो पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने। प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीरों का सद्भावना पूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम यह देखना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 मे क्या प्रावधान है जो निम्न प्रकार है–**वादपत्र का नामंजूर किया जाना– वादपत्र निम्न लिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा।**

**(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।**

**(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।**

**(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसे करने में असफल रहता है।**

**(घ)जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।**

**(ड) जहां यह दो प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है।**

**(च) जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है।**

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। वादीयां द्वारा वाद खातेदारी घोषणा का प्रतिवादीगण के विरूद्व पेश किया गया है। हमने वाद पत्र का अवलोकन किया। वाद पत्र के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि मूल पुरूष मोती के नाम दर्ज थी। जो मोती की मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्र जेता के नाम पर दर्ज हो गई। जेता की मृत्यु के पश्चात् भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज हो गई। वादग्रस्त भूमि में मोती के वारिस गेन्दीबाई के नाम भूमि दर्ज नहीं होने से गेन्दीबाई द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत किया हैं। वादीयां की उम्र 80 वर्ष हैं तथा मूल पुरूष मोती की मृत्यु का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया एवं यह भी नहीं बताया कि मोती की मृत्यु कब हुई हैं। प्रतिवादी के जवाब अनुसार वादीयां के पिता मोती की मृत्यु के 30 वर्ष पश्चात् यह वाद प्रस्तुत किया हैं। वादग्रस्त भूमि का प्रतिवादी सं. 1 खातेदार होने से प्रतिवादी सं. 1 द्वारा उक्त भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.05.2018 से प्रतिवादी सं. 29 श्रीमती दुर्गा बाई पत्नी रतनलाल खटीक को विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया हैं। इसी विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी सं. 29 का नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदार की हैसियत से दर्ज हैं। चूंकि वादीयां सामान्य वर्ग से होकर वादग्रस्त भूमि में हिस्सें की घोषणा चाह रही हैं जबकि उक्त भूमि का विक्रय होकर उक्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 29 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रतिवादी सं. 29 अनुसूचित जाति वर्ग की श्रेणी में आते हैं। जब तक वादीयां उक्त रजिस्टर्ड विक्रय को सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लेते तब तक वादीयां को अपने हिस्सें की खातेदारी घोषणा दिया जाना सम्भव नहीं हैं। यदि अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्य के नाम दर्ज भूमि को सामान्य वर्ग के सदस्य के नाम खातेदारी हक से अंकित कराई जाती है तो यह स्पष्ट रूप से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42बी का उल्लंघन होगा। वादीयां जब तक सक्षम न्यायालय से उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त नहीं करवा लेती तब तक इस न्यायालय से किसी प्रकार की दाद प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में वादीयां का वाद बार्ड बाय लॉ होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत आने से बार्ड बाय लॉ पाया जाता है। अतः वादीयां का वाद बार्ड बाय लॉ होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत् आने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार योग्य पाया जाता है।
7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी सं. 29 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. एवं धारा 151 जा. दी. का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

## —: आदेश :—

प्रतिवादी सं. 29 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. एवं धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाने से वादीयां का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

# डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

## बईजलास मोहन सिंह, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्रीमती गेन्दीबाई पिता मोती पत्नी भगा डांगी निवासी घासा हाल मजेरा तह. नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

.....वादीयां

**बनाम्**

1. श्री मांगीलाल पिता जेता डांगी निवासी मण्डी की मगरी, घासा तह. मावली।
2. श्री देवीलाल माता नकारी पिता रूपा डांगी निवासी घोडच तह. नाथद्वारा।
3. श्री भेरूलाल माता नकारी पिता रूपा डांगी निवासी घोडच तह. नाथद्वारा।
4. श्री गणेश माता नकारी पिता रूपा डांगी निवासी घोडच तह. नाथद्वारा।
5. श्रीमती मीराबाई माता नकारी पत्नी लोगर डांगी निवासी फेनियों का गुडा तह. बडगांव।
6. श्रीमती मोहनीबाई माता नकारी पिता रूपा डांगी निवासी घोडच तह. नाथद्वारा।
7. श्रीमती नवाबाई माता नकारी पत्नी केसा डांगी निवासी लोयरा तह. बडगांव।
8. श्रीमती दौलीबाई माता नकारी पत्नी गणेश डांगी निवासी लोयरा तह. बडगांव।
9. श्री श्यामलाल माता कवरी पिता लखमा डांगी निवासी मण्डीमगरी घासा तह. मावली।
10. श्री भूरालाल माता कवरी पिता लखमा डांगी निवासी मण्डी की मगरी, घासा तह. मावली।
11. श्री बाबुलाल माता कवरी पिता लखमा डांगी निवासी मण्डी की मगरी, घासा तह. मावली।
12. श्री कुकाराम माता कवरी पिता लखमा डांगी निवासी मण्डी की मगरी, घासा तह. मावली।
13. श्रीमती पपुडी माता कवरी पत्नी प्यारेलाल डांगी निवासी झंझेला तह. मावली।
14. श्रीमती मोहनीबाई माता कवरी पत्नी वरदा डांगी निवासी गंदोली तह. मावली।
15. श्रीमती डाकुबाई माता कवरी पत्नी वरदा डांगी निवासी गंदोली तह. मावली।
16. श्री मुकेश पिता लोगर डांगी निवासी गजेला, मजेरा तह. नाथद्वारा।
17. श्रीमती मांगीबाई पिता लोगर पत्नी गणेश डांगी निवासी गुडली तह. मावली।
18. श्रीमती मीना पिता लोगर पत्नी कैलाश डांगी निवासी मटाटा तह. बडगांव।
19. श्रीमती जसोदा पिता लोगर पत्नी पप्पु डांगी निवासी रठुजना तह. नाथद्वारा।
20. श्री दौला माता वालकी पिता चेना डांगी निवासी गजेला, मजेरा तह. नाथद्वारा।
21. श्री गोपाललाल माता वालकी पिता चेना डांगी निवासी गजेला, मजेरा तह. नाथद्वारा।
22. श्रीमती देऊबाई माता वालकी पत्नी केसा डांगी निवासी रामा तह. बडगांव।
23. श्रीमती माणीबाई माता वालकी पत्नी परथा डांगी निवासी धोलीमगरी तह. मावली।
24. श्रीमती जवेरी माता वालकी पत्नी लोगर डांगी निवासी रामा तह. बडगांव।
25. श्री बाबुलाल माता प्रताबी बाई पिता रूपा डांगी निवासी नरदासीया तह. मावली।
26. श्रीमती मोहनीबाई माता प्रताबीबाई पत्नी सुखलाल डांगी निवासी आसना तह. मावली।
27. श्रीमती सवागी माता प्रताबीबाई पत्नी गेबा डांगी निवासी विजनवास तह. मावली।
28. श्रीमती पुष्पाबाई पत्नी रामलाल डांगी निवासी बापेर, घासा तह. मावली।
29. श्रीमती दुर्गाबाई पत्नी रतनलाल खटीक निवासी घासा तह. मावली।
30. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)।

.....प्रतिवादीगण

# वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम
## मुकदमा न0 : 184/18 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मोहन सिंह R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

प्रतिवादी सं. 29 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. एवं धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाने से वादीयां का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 26.08.2019 को जारी की गई।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली